रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062024-254721
CG-DL-E-15062024-254721

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2024/ज्येष्ठ 24, 1946
No. 307] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2024/JYAISHTHA 24, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2024

सा.का.नि. 330(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 2024 है।

   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 में, पैरा 8क में उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

   "(1) जहां कोई नियोक्ता बीमा निधि में किसी अंशदान के संदाय में या अधिनियम या योजना के किसी अन्य उपबंध के अधीन देय किन्हीं प्रभारों के संदाय में चूक करता है, वहां केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसा अधिकारी जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाए, नियोक्ता से प्रति माह अंशदान के बकाया के एक प्रतिशत या उसके भाग की दर से नुकसानी वसूल कर सकेगा।"

[फा. सं. आर-15011/01/2022-एसएस-II]

आलोक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), संख्यांक सा.का.नि. 488(अ), तारीख 28 जुलाई, 1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 299(अ), तारीख 28 अप्रैल, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2024

G.S.R. 330(E).—In exercise of the powers conferred by section 6C read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, namely:-

1. **Short title and Commencement.**— (1) This Scheme may be called the Employees' Deposit Linked Insurance (Amendment) Scheme, 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, in paragraph 8A, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) Where an employer makes default in the payment of any contribution to the Insurance Fund, or in the payment of any charges payable under any other provisions of the Act or the Scheme, the Central Provident Fund Commissioner or such officer as may be authorised by the Central Government by notification in the Official Gazette in this behalf, may recover damages from the employer at the rate of one per cent. of the arrear of contribution per month or part thereof."

[F. No. R-15011/01/2022-SS-II]

ALOK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 488(E), dated the 28th July, 1976 and was last amended vide notification number G.S.R. 299(E), dated the 28th April, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.